

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांक:-एफ.3(ड)(विविध)का.प्र./स्थानि./24/1890-2165 दिनांक 12.02.2024


आयुक्त/अधिकाधी अधिकारी  
नगर निगम/परिषद्/पालिका  
समस्त राजस्थान।

विषय:- राज्य वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2022-23 के तहत विकसित किये जा रहे आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) पर्योग प्रशिक्षक (पार्ट टाईम) के चयन हेतु गठित की गई समिति की सूचना बाबत।

प्रसंग:- मिशन निदेशक, राष्ट्रीय आयुष मिशन, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी, जयपुर का पत्र क्रमांक 178-80 दिनांक 05.02.2024

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रानुसार आयुष मंत्रालय, भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजनान्तर्गत राजस्थान के आयुष औषधालयों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) के रूप में विकसित किये जाने के क्रम में प्रत्येक आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) पर पार्ट टाईम के आधार पर एक योग प्रशिक्षक पुरुष एवं एक योग प्रशिक्षक महिला का चयन किया जाना है। जिसके लिए उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में शहरी क्षेत्रों हेतु गठित चयन समिति में संबंधित नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पालिका के उपायुक्त/अधिकाधी अधिकारी को सदस्य नियुक्त किया गया है।

चूंकि राजस्थान के आयुष औषधालयों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) के रूप में विकसित किये जाने को राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्य-योजना में सम्मिलित किया गया है। अतः राज्य के समस्त नगर निकायों को निर्देशित किया जाता है कि आयुष विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प.18(26)आयु./2020 दिनांक 29.07.2022 एवं पत्र क्रमांक प.18(26)आयु./2020 दिनांक 16.12.2022 के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से नियमानुसार पात्र योग प्रशिक्षक महिला एवं योग प्रशिक्षक पुरुष के चयन की कार्यवाही अविलम्ब सम्पन्न कराई जाना सुनिश्चित करें।

  
(सुरेश कुमार शीला)  
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक:-एफ.3(ड)(विविध)का.प्र./स्थानि./24/2166-2172 दिनांक 12.02.2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. विशिष्ट सहायक, मान0 मन्त्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
03. शासन उप सचिव, आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग।
04. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय आयुष मिशन, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी, जयपुर।
05. उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय, समस्त राजस्थान।
06. सुरक्षित पत्रावली।



(चाँद मल वर्मा)  
अतिरिक्त निदेशक